

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेन्द्र कुमार मेहता बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 253/2022	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-09-2022	<p>अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मेहता, निवासी ए रोड़, सरदारपुरा जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 11.06.2022 में (1) खसरा सं० 449/9 मौजा बनाड़ तहसील जोधपुर की भूमि कृषि भूमि से औधोगिक भूमि में (सरकारी भूमि) कब किसके नाम परिवर्तित की गई थी बतावे। संबंधित कार्यालय टिप्पणी व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए, लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर शहर, प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1349 दिनांक 17.08.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1348 दिनांक 17.08.22 द्वारा कुल 407 पृष्ठ की सूचना बिन्दुवार निशुल्क प्रेषित की जा चुकी है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	